

वा.सं. 81/17 अमान सुमान बनाम हकीम

26/7/19

पत्रावली पैरा 10

व्यक्तिगत एवं उनके वकील में से कोई
उपस्थित नहीं

कोज कोदालर सभ्य में एक-एक बार
तीन बार आवाजें दिलवाये जायें के
सावजूद व्यक्तिगत एवं उनके वकील
में से किसी के उपस्थित नहीं होने
पर ~~आवेदन~~ ^{व्याप} अन्तर्गत आदेश 9 नियम
2 व आदेश 9 नियम 3 CPC के तहत
कोज हाजरी एवं कोज पैरवी में रवारीज
क्रिया जाता है

पत्रावली पैरा 10 सुभार होकर दाखिल
कराया है।


सहायक कलेक्टर
(S.D.O) शिव

